

## आदेश

प्राथी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 व सर्पठित धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चिडवावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नरहड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2543 / 272 रकबा 2.76 है. खसरा नम्बर 2551 / 2549 रकबा 1.9910 है. खसरा नम्बर 274 रकबा 3.42 है की प्राथी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्पत्तिक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2025 के अनुसार नियमानुसार शुल्क लिया जाकर पत्थगढ़ी की जावें। दौरेने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी, चिडवावा

चिडवावा जिला इन्चार्ज (राज)

खुले न्यायालय

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी, चिडवावा

चिडवावा जिला इन्चार्ज (राज)



में सुनाया गया।